सं. टीएफसी/18/2014
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 2 दिसंबर, 2017

रिक्ति परिपत्र

भारत सरकार द्वारा भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) में पूर्णकालिक अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जो दिनांक 17.01.2018 को वर्तमान पदधारी का कार्यकाल पूरा होने पर रिक्त होगा। भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए) का अध्यक्ष उन कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन करेगा और उन शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो भांडागारण (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 2007 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों में निर्धारित हैं। भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

2. वेतनमान: भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष को आवास और कार के बिना 4,50,000/- रुपए (चार लाख पचास हजार रुपए केवल) के समेकित मासिक वेतन पैकेज का भुगतान किया जाएगा। वेतन से सकल पेंशन की राशि की कटौती लागू नहीं होगी।

3. पात्रता मानदंड: (i) अध्यक्ष के पद का अभ्यर्थी एक सुयोग्य, निष्ठावान एवं सुविज्ञ व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास मालसूची प्रबंधन, बीमा, परिरक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, कृषि, बैंकिंग, वित्त, अर्थशास्त्र, कानून अथवा प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव हो।
(ii) नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी, जो निम्नलिखित पद धारण किए हुए हैं अथवा किए थे:

(क) सचिव, भारत सरकार; अथवा
(ख) किसी स्वायत्त निकाय अथवा केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार (सरकारों) द्वारा पर्याप्ततः वित्तपोषित अनुसंधान संस्थान में सचिव, भारत सरकार के वेतनमान के समकक्ष; अथवा
(ग) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) द्वारा अनुसूची "क" के अंतर्गत वर्गीकृत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक; अथवा
(घ) सर्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के बड़े वित्तीय संस्थान अथवा बैंक अथवा बीमा कम्पनी में मुख्य कार्यकारी; अथवा
(ङ) अनुसूची "क" के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की तुलनीय स्थिति के कारोबार वाले निजी क्षेत्र के उपक्रम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

4. आयु सीमा और कार्यकाल: भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण का अध्यक्ष अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक कार्यकाल के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि कोई व्यक्ति पैंसठ वर्ष की आयु होने के बाद अध्यक्ष का पद धारण नहीं करेगा। अध्यक्ष अपने पद के साथ कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा।

5. सरकारी सेवा से मानित सेवानिवृत्ति: कोई व्यक्ति जो भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद धारण करने की तारीख से तत्काल पूर्व केन्द्रीय सरकार की सेवा में था, वह अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने की तारीख से सरकारी सेवा से निवृत माना जाएगा।

वे उम्मीदवार, जो उपर्युक्त पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे अनुबंध-1 में दिये गए निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ भेजें, ताकि वह अधोहस्ताक्षरी (कमरा सं. 175, कृषि भवन, नई दिल्ली) के पास एम्प्लोयमेंट न्यूज़/रोजगार समाचार में प्रकाशित होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर (रोजगार समाचार में दिनांक 02.12.2017 को प्रकाशित) अर्थात दिनांक **15.01.2018** को अपराह्न 5 बजे तक पहुंच जाए। सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत आवेदकों को अपना आवेदन सहायक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियों के साथ उचित माध्यम से भेजना चाहिए। सभी तरह से पूर्ण आवेदन उपर्युक्त समय सीमा के भीतर ई-मेल द्वारा vashishth.suresh@nic.in पर भी भेजा जा सकता है | सरकार के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी/प्राप्त सभी आवेदनों को अस्वीकृत करने का अधिकार है।

जिन व्यक्तियों ने माह जून, 2017 में प्रकाशित रिक्ति परिपत्र के उत्तर में निर्धारित तारीख के भीतर इस पद के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उन्हें ऊपर उल्लिखित अवधि के भीतर डाक द्वारा या ई-मेल से अपनी इच्छा सूचित करनी होगी।

(सुरेश कुमार वशिष्ठ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23382512

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग। अनुरोध है कि पात्र एवं इच्छुक अधिकारियों के आवेदन उनकी विगत 5 वर्षों कि वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों की प्रमाणित फोटोप्रतियों और सतर्कता निकासी प्रमाणपत्र के साथ इस विभाग को अग्रेषित किए जाएं।
2. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग। अनुरोध है कि यह रिक्ति परिपत्र और आवेदन प्रपत्र विभाग कि वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जाए।

अनुबंध-1

भांडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद हेतु आवेदन

1. (क) नाम (स्पष्ट अक्षरों में):
   (ख) वर्तमान पता:
   (ग) स्थायी पता:
   (घ) दूरभाष:
   (ङ) ई-मेल:

2. पिता का नाम

3. जन्मतिथि

4. राष्ट्रीयता

5. शैक्षणिक योग्यता

6. (क) क्या वर्तमान में सेवारत हैं अथवा सेवानिवृत्त हैं
   (ख) यदि सेवारत हैं, तो वर्तमान नियोजन का स्वरूप:
   (तदर्थ अथवा अस्थायी अथवा स्थायी, धारित पद एवं संगठन)
   (ग) यदि सेवानिवृत्त हैं, तो सेवानिवृत्त कि तारीख:

7. कालक्रमानुसार नियोजन का ब्यौरा और कार्य अनुभव
   (कृपया अलग कागज पर लिखकर संलग्न करें)

क्रम सं.	कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान और मूल वेतन आदि	कार्य का स्वरूप

8. रिक्ति परिपत्र की मद सं. 3(1) में निर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुभव, ज्ञान का ब्यौरा:

9. रिक्ति परिपत्र की मद सं. 3(1) में निर्दिष्ट पद का ब्यौरा
   यदि पद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में धारित है,
   तो कृपया लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकृत अनुसूची निर्दिष्ट करें।
   यदि पद निजी क्षेत्र की किसी कम्पनी में धारित है, तो अनुसूची "क" पीएसयू की तुलना में टर्न ओवर/दर्जा निर्दिष्ट करें।

10. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर है, तो कृपया बताएं:

(क) आरंभिक नियुक्ति की तारीख
(ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
(ग) मूल कार्यालय/संगठन का नाम, जिससे आप संबंधित हैं

11. दीर्घावधिक प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम, जिसमें भाग लिया था

12. पद की उपयुक्तता के बारे में कोई अतिरिक्त सूचना।
यदि आवश्यक हो, तो कृपया अलग कागज पर लिखकर संलग्न करें।

13. घोषणा :-

मैं प्रमाणित करता हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और कोई सूचना छुपाई/विकृत नहीं की गई है। यदि कभी यह पाया जाता है कि मैंने कोई तथ्यात्मक सूचना छुपाई/विकृत की है, तो मेरी नियुक्ति बिना किसी सूचना के तुरंत समाप्त की जा सकती है।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

तारीख:
स्थान:

संगठन/संस्थान के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाए

(सरकार/स्वायत्तशासी/सांविधिक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए)

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय .... ।
श्री/सुश्री .... द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे का सत्यापन उनके सेवा अभिलेख के संदर्भ में कर लिया गया है और उनकी सत्यता प्रमाणित की जाती है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई सतर्कता मामला लम्बित नहीं है और न ही चलाये जाने का विचार है।

(अग्रेषणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदनाम, मुहर सहित)

पता:
दिनांक: